



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर नाबालिग युवती से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत अ0सं0 1417/2015, धारा- 354(क) भा0द0सं0 व 10 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र लोधी पुत्र लाखन लोधी निवासी भण्डवा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC श्री अवधनरेश  
चन्देल



विवेचक -उ0नि0  
श्री रईशउद्दीन



पैरोकार मुस्करा  
का0 ज्ञानेन्द्र सिंह